न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 :545 सन 2018
अनवान :–

1. हनुमान पुत्र चुन्नीराम जाति खाती निवासी रामगढ तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. चुनीराम पुत्र जिसुखराम जाति खाती निवासी रामगढ तहसील नोहर
2. रामकुमार पुत्र चुन्नीराम जाति खाती निवासी रामगढ तहसील नोहर।
3. सरस्वती देवी 4 सुमित्रादेवी पि0 चुन्नीराम जाति खाती निवासी रामगढ तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :–12.11.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मोजा चक 15 डीपीएन के खाता संख्या 24/19 के प0न0 391/447(56) के किला न0 4/0.253 ,5/.253 ,6/0.253 ,7/0.215 ,13/2 की 0.0390 ,14 की 0.164 ,15/0.127 ,16/0.253 ,17/2 की 0.2270 ,18/3 की 0.0510हैक कुल 1.8850हैक व रोही मौजा चक 20 डीपीएन के खाता संख्या 26/103 के 372/440 मु0न0 16/1 की 0.0125 की 0.0125हैक , 24/1 की 0.2405हैक ,25 की 0.253 ,प0न0 372/441 (48) के किला न0 4/1 की 0.215 ,4/2 की 0.0260हैक गै0म0 खाला किला न0 5/0.253 हैक गै0मु0 खाला मय रास्ता कुल 1.0120हैक भूमि स्थित है जिसके चुन्नीराम पुत्र जीसुख खाती खातेदार काश्तकार थे।

वादी के दादा चुन्नीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से उनके पुत्रों के नाम से दर्ज हुई एवं वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रोही मौजा चक 15 डीपीएन के खाता संख्या 24/19 की कुल 1.8850हैक एवं रोही मौजा चक 20 डीपीएन के खाता संख्या 26/103 ,19 की कुल 1.0120हैक भूमि आई है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ,4 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा एवं उसके पिता के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उसके नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है इसी अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया ।

हमने वकील वादी का सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी का कथन है कि वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3, 4ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ,4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्हाने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 2 के पक्ष में किया हुआ है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादी का काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 4 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी हनुमान प्रसाद के पास रोही मोजा चक 20 डीपीएन के खाता संख्या 26/183 के प0न0 372/440(45) के किला न0 16/1 की 0.0125हैक 17/1 की 0.0125 ,24/1 की 0.203 ,25/0.253, कुल 0.445हैक भूमि खाला 0.126है व रोही मौजा चक 15 डीपीएन के खाता संख्या 24/19 के प0न0 391/447 (56) के किला न0 5 ,6/0.506 15/0.127 ,16/0.253 ,17/2 की 0.057हैक भूमि पूर्व पासा कुल 0.943हैक भूमि बारानी रहेगी तथा प्रतिवादी संख्या 2 के पास रोही मौजा चक 20 डीपीएन के खाता संख्या 26/103 के प0न0 372/441(48) के किला न0 4/1 की 0.2155 ,4/2 की 0.0260 ,गै0मु0खाला 5/0.253 मय रास्ता व खाता प0न0 372/440(45) के किला न0 24/1 की 0.0375 ,दक्षिण पासा कुल 0.445हैक खाला 0.050हैक्रास्ता 0.026हैक भूमि रहेगी चक 15 डीपीएन के खाता संख्या 24/19 के प0न0 391/447(56) के किला न0 4/0.253 ,7/0.215 ,1322/0.0890 ,14/0.1640 ,17/2 की 0.170 ,18/3 की 0.0510हैक कुल 0.942हैक भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official